न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

रण सख्या : 11/2015

रमेश चन्द पुत्र श्री धन्नालाल जाति धाकड निवासी रीझिंया तहसील मांगरोल जिला बारां

.... वादी

♠ बनाम ♠

1. श्याम लाल } पुत्रान धन्नालाल जाति धाकड निवासी रीझियां तह0 मांगरोल
2. मथुरा
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां

....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 188 आरटीएक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री हिम्मता राम मेहरा (आरएएस)
वकील वादी : श्री अमित कुमार गौड
वकील प्रतिवादी : श्री रामस्वरूप नागर
दायरा दिनांकः 23.03.2015 निर्णय दिनांक : 10.08.2017

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि राजस्व रेकार्ड जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 खाता संख्या 120 खसरा नं0 343 रकबा 0.90 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.90 है0 वाके ग्राम रीझिंया तहसील मांगरोल जिला बारां में वादी के नाम दर्ज हो रही है। राजस्व रेकार्ड जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 खाता संख्या 160 खसरा नं0 343/615 रकबा 0.15 है0 खसरा नं0 345/616 रकबा 0.75 है0 कुल किता 2 रकबा 0.90 है0 वाके ग्राम रीझिंया तहसील मांगरोल जिला बारां में प्रतिवादी नं0 1 के नाम दर्ज हो रही है। राजस्व रेकार्ड जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 खाता संख्या 100 खसरा नं0 345 0.90 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.90 है0 वाके ग्राम रीझियां में प्रतिवादी कम 2 के नाम दर्ज हो रही है। उक्त आराजी का एक शामलाती खाता था जिसमें वादी एवं प्रतिवादी कम 1 व 2, 1/3+1/3+1/3 सह खातेदार दर्ज थें, लेकिन वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 व 2 ने आपसी सहमति से बंटवारा करवाया था। लेकिन सहवन से बंटवारा गलत हो गया जबकि मौके पर वादी, प्रतिवादी नं0 1 व 2 ने प्रत्येक खसरा नम्बर के तीन टूकडे कर आपस में बंटवारा कर लिया था। वादी व प्रतिवादीगण के नं0 1 व 2 के बीच गलत बंटवारा हो जाने से तथा खसरा नं0 गलत रू‍ से एक दूसरे के दर्ज हो जाने से प्रतिवादी नं0 1 व 2 के मन में बेईमानी आ गई है, तथा प्रतिवादी नं0 1 व 2 अपने उद्‌देश्य पूर्ति हेतु रोड की जमीन गलत रूप से खाते दर्ज हो जाने से प्रतिवादीगण बैचान करने पर आमादा है जबकि मौके पर वादी काबिज काश्त है इसलिये

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल

के लिए यह आवश्यक हो गया है, कि बंटवारा निरस्त करवाने तथा पुनः खाता शामलाती करवाने का कारी है। अतः निवेदन है कि उक्त वर्णित आराजी का बंटवारा निरस्त कर पुनः शामलाती खाता दर्ज र वादी व प्रतिवादी नं 1 व 2 का 1/3+1/3+1/3 हिस्सा दर्ज किया जावे।

उक्त आशय का वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली का राजस्व वाद के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया। सम्पूर्ण विवेचनोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुचा हूं कि प्रतिवादी कम 2 द्वारा धारा 11 रेशजूडिकेश एवं धारा 151 सीपीसी पेश किया जिसमें प्रतिवादी मथुरालाल द्वारा निवेदन किया कि उक्त दावे का फैसला दिनांक 03.12.2005 को हो चुका है जिसके फैसले की नकल प्रा0 पत्र के साथ मय डिक्री के पेश है तथा जिसमें वादी व प्रतिवादी के बीच आपसी सहमति व राजीनामा लिखावट द्वारा एवं जवाब की नकल व राजीनामा की नकल भी संलग्न है जिसमें खसरा नं0 व इस दावे के खसरा नं0 समान है तथा प्रा0 पत्र का जवाब भी अवसर देने पर भी नही किया गया ओर पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन कर ज्ञात हुआ कि इसमें पूर्व में 03.12.2015 को फैसला व डिक्री हो चुका है रेशजुडिकेशन का असर रखने के कारण प्रकरण निरस्तनीय है।

अतः वाद वादी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 10.08.2017 को कोर्ट केम्प मांगरोल सरेईजलास में सुनाया गया।

(हिम्मता राम मेहरा)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल